कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के परिसर एवंसीएबी की आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता-प्रबंध औररोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाये जाने के लिए सूचना

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे (बैंक) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के परिसर एवं आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता-प्रबंध/रोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाये जाने के लिए बोली प्रणाली के अंतर्गतदो भागों में मुहरबंद निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित करता है ।

इच्छुक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता पूरे ब्यौरों और आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in को देख सकते हैं । भरा हुआ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.04.2021 है ।

बैंक को अधिकार है कि वह किसी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर दे ।

प्रधानाचार्य, सीएबी. पुणे

स्वत्वत्याग

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी),शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग(PSLD) , भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे (बैंक) ने यह टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया है। एक संभावित और आवश्यक आधार पर CAB परिसर और आवासीय कॉलोनियों में पेशेवरगहन -स्वच्छता / कीटाणुनाशन के लिए ठेकेदारों के पैनल को बोली लगाने के लिए भावी बोलीदाताओं को जानकारी प्रदान की जाती है। यह निविदा इस निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार और ऐसी जानकारी से संबंधित किसी भी अन्य नियम और शर्तों के तहत जारी की गई है।

यह निविदा न तो कोई समझौता है, न ही किसी भी पार्टी को किसी भी तरह का काम करने का निमंत्रण है।

इस निविदा का उद्देश्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए बैंक की आवश्यकताओं को प्रदान करना है। जबकि बैंक ने इसमें निहित जानकारी की तैयारी में सावधानी बरती है, लेकिन बैंक यह दावा नहीं करता है कि जानकारी पूरी तरह समाप्त हो गई है। इस निविदा के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उन्हें निविदा की जानकारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। उत्तरदाताओं द्वारा कोई उचित परिश्रम नहीं किए जाने पर बैंक जिम्मेदार नहीं है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे बढ़ने का अधिकार नहीं रखता है, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित टाइम-टेबल को बदलने के लिए या लागू होने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने के लिए। यह किसी भी प्रतिवादी के साथ निविदा पर चर्चा करने के लिए अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए नोटिस में किसी भी प्रकार की विसंगतियों के मामले में, अंग्रेजी संस्करण में उल्लिखित विवरण प्रबल होंगे।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)

<u>कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के परिसर एवं सीएबी की आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता-प्रबंध/रोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाये जाने के लिए सूचना</u>

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के परिसर एवं सीएबी की आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता-प्रबंध और रोगाणुनाशन कार्य के लिए बोली प्रणालीके अंतर्गत दो भागों में मुहरबंद निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय बोली)आमंत्रित करता है।

2. यह पैनलकृषि बैंकिंग महाविद्यालय और सीएबी की आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता-प्रबंध/रोगाणुनाशन कार्य किये जाने के लिए बनाया जायेगा। इस कार्य के लिए अनुमानित लागत और ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

कार्य का स्वरूप	स्थान	अनुमानित लागत
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय और आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता-प्रबंध/ रोगाणुनाशन	i) सीएबी का कार्यालय भवन और भारतीय रिज़र्व बैंक आरकाइव्स (आरबीआइए) भवन। इसमें सभी कमरे और सामान्य गलियारे/क्षेत्र शामिल हैं।	प्रति वर्ष रु. 5 लाख
	ii) इन्द्रायणी और गोदावरी हॉस्टेल के सभी कमरे।	
	iii) इन्द्रायणीहॉस्टेल का सामान्य क्षेत्र और गलियारा।	
	iv) गोदावरी हॉस्टेल का सामान्य क्षेत्र और गलियारा।	
	v) CAB परिसर में स्थित व्यक्तिगत VOF.	
	vi) रजनीगंधा परिसर में स्थित व्यक्तिगत VOF / THH	
	vii) तीस्ता, गोमती एवं कल्याणी, (सीएबी कैंपस के भीतर आवासीय कॉलोनी)	
	viii) पारिजात – मॉडल कॉलोनी (युनिवर्सिटी रोड) :	
	ix) आशियाना – गोखले नगर रोड;	
	x) गुलमोहर – दहाणुकर कॉलोनी, कोथरुड;	
	xi) रजनीगंधा – गणेशखिंड रोड, औंध।	

यह कार्य ऊपर वर्णित स्थानों पर और बैंक के निदेशानुसार आवश्यकता के आधार पर किया जाना होगा।

भाग-1

3. **कार्य का विषय-क्षेत्र**–ठेका-अवधि (2021-2024) के दौरान एजेंसी निम्नलिखित के लए जिम्मेवार होगी :

i) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के कार्यलय भवन की सभी मंजिलों (सामान्य. गलियारा/क्षेत्र) में और पाँच आवासीय कॉलोनियों में, कोविड 19 के लिए, गहन स्वच्छता-प्रबंध/रोगाणुनाशन कार्य । (जैसा अपेक्षित हो) ।

ii) फर्म स्वच्छता प्रबंध के लिए अधिमानतः वाइरेक्स 256/माइक्रोजेन 256 का प्रयोग करेगी । इस कार्य के लिए प्रयुक्त सामग्रियाँ/रसायन प्रासंगिक भारतीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और उत्तम गुणवत्ता वाले होंगे या बैंक द्वारा अनुमोदित किये गये अनुसार होंगे ।

iii) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय युनिवर्सिटी रोड, पुणे – 411 016 में अवस्थित है । इसमें कार्यालय भवन (निचली मंजिल एवं पहली मंजिल), आर्काइव्स भवन (आरबीआइए), दो हॉस्टेल (गोदावरी एवं इंद्रायणी- 94 कमरे), वीओएफ/वीआइपी कमरे (18) और पाँच आवासीय कॉलोनिय़ाँ (विभिन्न स्थानों पर अवस्थित) हैं ।

iv) गहन स्वच्छता/रोगाणुनाशन कार्य संदूषण की जौखिम को कम करने के लिए विनिर्माता के विनिर्देशानुसार युक्तियुक्तसांद्रता/तनूकरण वाले उपयुक्त रसायनों का प्रयोग करते हुए स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों (पीएमसी), राज्य/केंद्र सरकार/विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपेक्षा का अनुपालन करते हुए, बैटरीचालित डिस्इन्फेक्टैंट स्प्रेयिंग मशीन द्वारा/फॉगिंग मशीन द्वारा धुंध के रूप में छिड़काव करते हुए किया जायेगा ।

v) कार्यालय-स्थल की सभी सतहों का गहन स्वच्छता/रोगाणुनाशन कार्य शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी) के परामर्श से किया जायेगा ।

vi) आवासीय कॉलोनियों में, यह सामान्य क्षेत्र और पार्किंग होंगे।

vii) गहन स्वच्छता/रोगाणुनाशन किये जाने वाले क्षेत्र–भवन की सभी मंजिलों पर कार्यालय/कार्य-स्थल, फायर कंसोल रूम, गार्ड रूम, पार्किंग क्षेत्र,सीढ़ियाँ, गलियारा, आदि सहित सामान्य क्षेत्र सभी मंजिलों पर और विजिटर पोर्टा कैबिन, प्रवेश द्वार पोर्टा कैबिन, आदि, परिसर में ।

vii) गहन स्वच्छता/रोगाणुनाशन साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक रूप से या आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना एजेंसी/यों को दी जायेगी ।

4. ठेकेदारों को पैनल में रखे जाने के लिए अर्हता-पूर्व मानदंड निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	पीक्यु मानदंड	वर्णन	पीक्यु मानदंड के अनुपालन को साबित करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
i	अनुभव	31 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार इसी प्रकार के कार्य करने का 5 वर्षों को अनुभव हो* (पिछले 5 वर्षों के दौरान) । आवेदकों को अपने ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा दर्शाया गया हो । इस सूची में ब्यौरे, यथा, ग्राहक का नाम, किये गये कार्य का मूल्य, कार्य आरंभ किये जाने की तिथि और कार्य समाप्त किये जाने की तिथि, विलंब का कारण, यदि हो, आदि, शामिल होंगे । आवेदक को चाहिए कि वह 31 दिसंबर 2020 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान किये गये कार्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे ।	क) पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि ख) 31 दिसंबर 2020 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्यादेश/ग्राहक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि

ii	पूर्ण किये गये प्रत्येक कार्य का न्यूनतम मूल्य	31 दिसंबर 2020 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी प्रकार के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए : i) इसी प्रकार के पूरा किये गये तीन कार्य (पिछले 5 वर्षों के दौरान), जिनमें से प्रत्येक की लागत कार्य के अनुमानित लागत के कम से कम 40% हो [उदाहरण के लिए, रु. 5 लाख की लागत वाले स्वच्छता/रोगाणुनाशन कार्य के लविए पैनल में शामिल किये जाने के लिए प्रत्येक निष्पादित कार्य की लागत कम से कम रु. 2 लाख हो (5 लाख का 40%)] अथवा ii) इसी प्रकार के पूर्ण किये गये दो कार्य (पिछले 5 वर्षों के दौरान), जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 50% हो [उदाहरण के लिए, रु. 5 लाख की लागत वाले स्वच्छता/रोगाणुनाशन कार्य के लिए पैनल में शामिल किये जाने के लिए प्रत्येक निष्पादित कार्य की लागत कम से कम रु. 2.5 लाख हो (5 लाख का 50%)]	कार्यादेश/ग्राहक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि। (कम से कम दो ग्राहक प्रमाणपत्र निर्धारित फार्मैट में प्रस्तुत किये जाने चाहिए)
		अथवा iii) इसी प्रकार का एक कार्य (पिछले 5 वर्षों के दौरान), जिसकी लागत अनुमानित लागत का कम से कम 80% हो। [उदाहरण के लिए, रु. 5 लाख की लागत वाले स्वच्छता/रोगाणुनाशन कार्य के लिए पैनल में शामिल किये जाने के लिए प्रत्येक निष्पादित कार्य की लागत कम से कम रु. 4 लाख हो (5 लाख का 80%)]	
iii	वार्षिक कुल कारोबार	31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कुल कारोबार रु. 5 लाख से अधिक होना चाहिए।	31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार के लिए सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र।
iv	शोधक्षमता	बैंकर द्वारा रु. 5 लाख या उससे अधिक राशि के लिए जारी किया गया शोधक्षमता प्रमाणपत्र, विशेष रूप से पैनल में शामिल किये जाने के प्रयोजनार्थ, प्रस्तुत किया जाये।	बैंकर का शोधक्षमता प्रमाणपत्र
v	पंजीकरण और अपेक्षित लाइसेंस	संबंधित कार्य के लिए वैध लाइसेंस (यदि लागू हो), पैन, जीएसटी. संबंधित पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त श्रमिक लाइसेंस (यदि लागू हो)।	संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रासंगिक प्रमाणपत्र/लाइसेंसों की प्रतियाँ।

5. इच्छुक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता **कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पीएसएलडी, युनिवर्सिटी रोड,पुणे- 411016 से** दिनांक 31.03.2021 से 20.04.2021 तक **किसी भी कार्यदिवस को** 9 :30 बजे पूबर्वाह्न से 5 :45 बजे अपराह्न तक आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते हैं या वे पूरे ब्यौरों के लिए हमारी वेसाइट https://www.rbi.org.in पर जा सकते हैं और आवेदनपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

6. यह निविदा दो भागों में तैयार की गयी है, यथा, भाग-। (तकनीकी बोली), जिसमें शर्तें, पात्रता एवं कार्य के विषय-क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज हैं तथा भाग- ।। (वित्तीय बोली मात्र) और इन्हें अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना है, यथा, भाग । और भाग ।। को दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में, उन पर स्पष्ट रूप से भाग ।-तकनीकी बोली और भाग ।। - वित्तीय बोली लिखते हुए, प्रस्तुत किया जाना है ।

7. दोनों लिफाफे (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) बोलीकर्ता द्वारा एक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है, जिसके ऊपर **"सीएबी और सीएबी की आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता प्रबंध/रोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाये जाने हेतु निविदा आवेदन"** लिखा गया हो, प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पीएसएलडी, युनिवर्सिटी रोड, पुणे – 411016 के पते पर भेजा जाये और उसे दिनांक **22.04.2021 के अपराह्न 03:00 तक** या उसके पहले प्रस्तुत किया जाना है ।

8. **निविदाओं को खोला जाना**– निविदा का भाग । दिनांक 22.04.2021 को अपराह्न 03:30 बजे निविदादाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में , जो उपस्थित रहना चाहें, खोला जायेगा । केवल उन निविदादाताओं की वित्तीय बोली (भाग ।।) खोली जायेगी, जिन्हें भाग । की संवीक्षा के बाद पात्र पाया जायेगा । वित्तीय बोली (भाग ।।) को खोले जाने की सूचना पात्र निविदादाताओं को दी जायेगी । निविदा के भाग ।। को खोले जाते समय निविदादातों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

9. संवीक्षा के दौरान, यदि किसी आवेदक को अपेक्षित पूर्व-अर्हता रखता हुआ नहीं पाया जाये, या उसने गलत/असत्य सूचना दी हो, तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है । केवल उन आवेदकों के आवेदन, जो विनिर्दिष्ट अर्हता-पूर्व मानदंड को पूरा करते हो और जिन्होंने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, पर आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

10. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किये गये कार्य के संबंध में ग्राहक प्रमाणपत्र पर सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालक इंजीनियर या उसके समकक्ष या ऊँची पंक्ति के किसी अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए । बैंक को अधिकार है कि वह स्वयं ग्राहक की/बैंकर की रिपोर्टों का सत्यापन करे । ***कम से कम 02 ग्राहक प्रमाणपत्र*** निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किये जाने हैं ।

11. यह पैनल बनाये जाने की तिथि से तीन वर्षों के लिए मान्य रहेगा, जो समय-समय पर कार्यसंपादन की समीक्षा किये जाने के अधीन होगा ।

12. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर दे ।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के परिसर एवं (सीएबी की) आवासीय कॉलोनियों में गहन स्वच्छता-प्रबंध औररोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाये जाने के लिए सूचना

मे.____
____को जारी किया गया

प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख : 22.04.2021

आवेदन भेजा जाये : प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग
युनिवर्सिटी रोड
पुणे 411016

<u>आवेदन का प्ररूप</u>

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग
युनिवर्सिटी रोड
पुणे 411016

प्रिय महोदय/महोदया,

पैनल बनाये जाने की सूचना, आवेदनपत्र के प्रोफार्मा से संलग्न आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेशों और अन्य सभी प्रासंगिक सूचना को पढ़ और समझ लेने के बाद मैं/हम इसके द्वारा सीएबी में गहनस्वच्छता-प्रबंध/रोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों के पैनल में शामिल किये जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

ii) भाग । और ।। के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यदि बाद में किसी जानकारी को गलत पाया जायेगा, तो मेरे/हमारे द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर पर भविष्य में हमारे और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, के बीच की जाने वाली किसी संविदा को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमान्य समझा जायेगा।

iii) मैंने/हमने किये गयेकार्य के ब्यौरे और ग्राहक की गोपनीय रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की है।

iv) मैंने/हमने बैंकर का शोधक्षमता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रोफार्मा में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया है।

v) मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि संलग्न पत्रों में मेरे/हमारे द्वारा सूचीबद्ध किये गये कार्यों के बारे में कोई पूछताछ की जाये अथवा संलग्न पत्रों में दी गयी किसी अन्य जानकारी के बारे में पूछताछ की जाये।

vi) मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में रखे जाने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंकका निर्णय अंतिम और मुझ पर/हम पर बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर____

नाम और पदनाम ____________________________________

पता____

स्थान________________________

तारीख_________________________ आवेदक की मुहर

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के परिसर एवं आवासीय कॉलोनियों (सीएबी की) के परिसर में गहन स्वच्छता-प्रबंध औररोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाये जाने के लिए सूचना

आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेश

1. **कार्य की लागत-**प्रति वर्ष रु. 5 लाख ।

2. कार्य का स्वरूप; सीएबी और सीएबी परिसर में स्थित (सीएबी की) आवासीय कॉलोनियों मे गहन स्वच्छता प्रबंध/रोगाणुनाशन । जिस क्षेत्र में कार्य किया जाना है, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है ;

क्रम सं.	स्थान
1.	सीएबी का कार्यालय भवन और भारतीय रिज़र्व बैंक आर्काइव्स (आरबीआइए) भवन । इसमें सभी कमरे और सामान्य गलियारे/क्षेत्र शामिल हैं ।
2	इन्द्रायणी और गोदावरी हॉस्टेल के सभी कमरे ।
3	इन्द्रायणी हॉस्टेल का सामान्य क्षेत्र और गलियारा ।
4	गोदावरी हॉस्टेल का सामान्य क्षेत्र और गलियारा ।
5	CAB परिसर में स्थित व्यक्तिगत VOF.
6	रजनीगंधा परिसर में स्थित व्यक्तिगत VOF / THH
7	तीस्ता, गोमती एवं कल्याणी, (सीएबी कैंपस के भीतर आवासीय कॉलोनी)
8	पारिजात – मॉडल कॉलोनी (युनिवर्सिटी रोड) :
9	आशियाना – गोखले नगर रोड;
10	गुलमोहर – दहाणुकर कॉलोनी, कोथरुड;
11	रजनीगंधा – गणेशखिंड रोड, औंध ।

3. आवेदकों को अपने संगठन के बारे में ब्यौरे, अपनी वित्तीय स्थिति का साक्ष्य, प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करना है ।

4. कोरे आवेदनपत्र के साथ ग्राहक-प्रमाणपत्र अनुबंध-। के अनुसार और बैंकर-प्रमाणपत्र अनुबंध-।। के अनुसार संलग्न है । आवेदक को कम से कम दो ग्राहक-प्रमाणपत्र, अर्हता-पूर्व मानदंडों के अनुसार, जिसे आवेदन आमंत्रण सूचना में बताया गया है, अपने ग्राहक/कों से उनके आधिकारिक पत्र-शीर्ष पर प्राप्त करना है और उसे आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है । इसी प्रकार उन्हें अपने बैंकर/बैंकरों से बैंक के आधिकारिक पत्र-शीर्ष पर बैंकर-प्रमाणपत्र प्राप्त करना है और आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है ।

5. किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन अथवा किसी पीएसयु द्वारा जारी किये गये ग्राहक प्रमाणपत्र पर कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति के किसी अधिकारी का या उसके समकक्ष या ऊँची पंक्ति के अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए । विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत किया जा सकता है । बैंक को अधिकार है कि वह प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्रों का सत्यापन स्वयं कराये ।

टिप्पणी : जिन आवेदकों ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी कार्यालय में कोई कार्य किया हो, वे कार्यों का ब्यौरा विनिर्दिष्ट फार्मैट में प्रस्तुत करेंगे (यदि ऐसे किये गये कार्यों की संख्या 5 से अधिक हो, तो कम से कम पाँच कार्यों का ब्यौरा, जो सबसे ऊँची ठेका-राशि से आरंभ हो, प्रस्तुत किया जायेगा) । बैंक इन ठेकों से संबंधित उनके कार्यसंपादन का सत्यापन करेगा ।

6. आवेदन पर संगठन की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जिसे हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया हो । **आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से हस्ताक्षर किया जायेगा । यदि आवेदन पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाये, तो अपेक्षित दस्तावेज, जिसमें उस व्यक्ति को मुख्तारनामा प्रदान किया गया हो. आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा ।**

7. यदि आवेदनपत्र में पूरे ब्यौरे भरने के लिए स्थान कम हो, तो ऐसी जानकारी एक अलग पन्ने में दी जा सकती है और उस पर विधिवत हस्ताक्षर करते हुए यह बताया जायेगा कि यह किस विवरण का हिस्सा है और उसकी क्रम संख्या क्या है ।

8. जिस आवेदन में गलत या अपर्याप्त जानकारी दी गयी होगी, उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

9. ठेकेदारों का चयन किये जाने के लिए निर्णय लिये जाते समय योग्यता, अनुभव, कार्य-संपादन, किये गये कार्यों का मूल्य और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की सक्षमता पर जोर दिया जायेगा ।

10. सूची में शामिल किये गये सभी ठेकेदारों के कार्य-संपादन की समीक्षा बैंक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की जायेगी और यदि निम्नलिखित किसी एक या अधिक के संबंध उनकीओर से विफलता हुई,तो उनका नाम ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से निकाल दिया जायेगा ।

क) निविदा आमंत्रण सूचना का उत्तर देन/कोटेशन देने में 1वर्ष की अवधि में तीन बार विफल रहना या दिये गये ठेके का निष्पादन करने में विफल रहना ।

ख) उनको दिये गये दो आपूर्ति आदेशौं में से किसी एक को भी पूरा करने में उनका कार्य असंतोषजनक पाया जाये ।

ग) ठेके की किसी महत्वपूर्ण शर्त का लगातार उल्लंघन करता है, जैसेकि समय सारणी का पालन और कारोबारी व्यवहार, आदि ।

घ) पंजीकरण/सूचीबद्धता की शर्त का पालन करने में विफल रहता है या पंजीकरण/सूचीबद्धता के समय गलत विवरण देता हुआ पाया जाता है ।

ङ) उसे दिवालिया/शोधनअक्षम, समापन, भंग या विभक्त घोषित किया गया है या घोषित किया जाने वाला है ।

च) श्रम विनियम/नियम का लगातार उल्लंघन करता है ।

11. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी या सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दे ।

12. आवेदक महाविद्यालय परिसर/आवासीय कॉलोनियों का निरीक्षण कर सकता है/कर सकते हैं, ताकि वे कार्य-क्षेत्र का अभिनिश्चय कर सकें (महाविद्यालय को पूर्व सूचना दे कर/की अनुमति से) ।

13. केवल उन निविदादाताओं की वित्तीय बोली (भाग ।।) खोली जायेगी, जिन्हें भाग । की संवीक्षा के बाद पात्र पाया जायेगा । वित्तीय बोली को खोले जाने की तारीख की सूचना पात्र निविदादाताओं को दी जायेगी । निविदा के भाग ।। को खोले जाने के समय निविदादाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

14. यदि कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, तो वह प्रधानाचार्य का कार्यालय, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पीएसएलडी, युनिवर्सिटी रोड, पुणे 411016 से प्राप्त किया जा सकता है ।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है और अनुदेशों का पालन करूँगा/करेंगे ।

स्थान: **हस्ताक्षर:**

तारीख: **नाम:**

आवेदक की मुहर:

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे
शिष्टाचार सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के परिसर एवं आवासीय कॉलोनियों (सीएबी की) के परिसर में गहन स्वच्छता-प्रबंध औररोगाणुनाशन कार्य के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाये जाने के लिए सूचना

भाग – I (तकनीकी बोली)
(क)- मूलभूत जानकारी

1	संगठन/आवेदक का नाम	
2	संगठन/आवेदक का पता	
3	संगठन का प्रकार (क्या स्वामित्व, सार्वजनिक निजी भागीदारी/समिति/प्रा.लि./लि. या निगम निकाय है. विलेखों की प्रतियाँ, एमओए, आदि)	
4	संगठन में स्वामी/भागीदार/निदेशकों के नाम	i) ii) iii)
5	पंजीकरण के ब्यौरे (फर्म, कंपनी,आदि) पंजीकरण प्राधिकारी, तारीख, संख्या, आदि कृपया संबंधित प्रमाणपत्र(त्रों)/ट्रेड लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/जीएसटी प्रमाणपत्र/एमएसएमइडी पंजीकरण प्रमाणपत्र (य़दि एमएसएमइडी अधिनियम, 2006के अंतर्गत पंजीकृत हो) आदि/अन्य़ लाइसेंसों या प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ संलग्न करें ।*	
6	संबंधित कार्य-क्षेत्र में अनुभव कृपया,समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें	वर्षों की संख्या
7	क्या गहन स्वच्छता-प्रबंध/रोगाणुनाशन के लिए रु. 5 लाख तक का कार्य हाथ में लेने के लिए वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं । यदि हाँ, तो शोधक्षमता प्रमाणपत्र संलग्न करें ।	

8.	बैंक/बैंकरों का नाम और पता	
9.	पिछले तीन वर्षों के लिए संगठन का वर्षवार कुल कारोबार (कृपया, समर्थन में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न करें)	वित्तीय वर्ष 2017-18 वित्तीय वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष 2019-20
10.	क) पंजीकृत कार्यालय का पता, टोलीफोन/मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी ख) कार्यालय का पता, जिसके माध्यम से कार्य का प्रबंध किया जायेगा । ग) संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का ब्यौरा (सभी फील्ड अनिवार्य हैं) 1.नाम 2.पदनाम 3.मोबाइल/लैंडलाइन 4.इ-मेल	
11.	क्या किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी उपक्रम/मों में अनुमोदित ठेकेदारों के रूप में कार्य कर रहे हैं, और यदि हाँ, तो ब्यौरे प्रस्तुत करें ।	
12.	किसी अनुसूचित वाणिज्यिक/सहकारी बैंक से बैंक गारंटी या अन्य तत्समान प्रतिभूति प्रस्तुत करने की योग्यता	
13.	बताएँ कि क्या किसी मुकदमें में शामिल हैं या पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित किये गये/किये जा रहे किसी कार्य के लिए कोई सिविल वाद लंबित है । यदि हाँ, तो परियोजना, नियोक्ता का नाम और कार्य का स्वरूप, संविदा-मूल्य, कार्यादेश तथा तारीख एवं मुकदमें का संक्षिप्त ब्यौरा दें । यदि अपेक्षित हो, तो अलग पत्रक संलग्न करें ।	
14.	भाग-। में संलग्न किये गये अनुपूरक पत्रकों की संख्या	

*आवेदक युक्तियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये वैध लाइसेंस (यदि लागू हो) की फोटोकॉपी प्रस्तुत करें ।

स्थान________________________________ ___________________________

आवेदक का हस्ताक्षर

तारीख_________________________________ **(और मुहर)**

(ख)- अनुभव

पिछले 5 वर्षों के दौरान फर्म द्वारा इसी प्रकार के निष्पादित किये गये कार्यों की सूची

* भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी केंद्र में कार्य करने के पिछले अनुभव का ब्योरा अलग से दिया जाये (निम्नलिखित फार्मैट के अनुसार तालिका कै रूप में)

क्रम सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य का स्वरूप एवं विनिर्देश	स्वामी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर (सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी निकाय)	उस अधिकारी/ वास्तुविद का नाम, पूरा पता और टेलीफोन नंबर, जिसके अधीन कार्य किया गया	संविदा-राशि	कार्य पूरा करने का अनुबद्ध समय	क्या कार्य को अधूरा छोड़ा गया या किसी भी पक्ष द्वारा संविदा को समाप्त किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)

____

आवेदक का हस्ताक्षर

*यदि अपेक्षित हो, तो अलग पत्रक संलग्न करें

(और मुहर)

<u>अनुबंध – I</u>

<u>बोलीकर्ता के कार्यसंपादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र</u>

ग्राहक का नाम और पता

1.	संविदा का विवरण	
2.	संविदा/करार सं. और तारीख	
3.	संविदा-राशि	
4.	संविदा आरंभ होने की तारीख	
5.	संविदा को पूरा किये जाने की वास्तविक/अनुबद्ध तारीख	
6.	विलंब के लिए लगायी गयी क्षतिपूर्ति या **सेवा में त्रुटि के लिए लगाया गया दंड (राशि बताएँ), यदि हो**	
7.	पूरा किये गये कार्य की कुल राशि और अदा की गयी राशि	
8.	उस अधिकारी का नाम और पता, जिसके अधीन **ठेका निष्पादित किया जा रहा था/किया जा रहा है**	
9.	क) तकनीकी निपुणता (श्रेणी बताएँ)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/संतोषजनक
	ख)श्रम-शक्ति जुटाना (श्रेणी बताएँ)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/संतोषजनक
	ग)सामान्य व्यवहार (श्रेणी बताएँ)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/संतोषजनक
	घ)वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/संतोषजनक

"प्रतिहस्ताक्षरित"

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी*

का हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर

*सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या उसके समतुल्य पंक्ति का अधिकारी

<u>अनुबंध II</u>

<u>किसी अनुसूचित बैंक से बैंकर-शोधक्षमता प्रमाणपत्र का प्ररूप</u>

(इसे बैंकर द्वारा मुहरबंद कियेगयेलिफाफे में निविदा के साथ लगाया जाये)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मे.--,जिनका पता नीचे दिया गया है, हमारे बैंक के सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें₹.............. (रुपये ....) तक के कार्य के लिए नियोजित किये जाने के लिए उत्तम माना जा सकता है । यह प्रमाणपत्र बिना किसी गारंटी के या बैंक या इसके अधिकारियों की जिम्मेवारी के बिना जारी किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर)

बैंक के लिए नाम और मुहर सहित

प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत नहीं किये गये दस्तावेजों के लिए जाँच-सूची

क्रम सं.	दस्तावेज	प्रस्तुत किये गये (√)	प्रस्तुत नहीं किये गये (√)
1	आवेदक के आधिकारिक पत्र-शीर्ष पर औपचारिक पत्र, जिसमें सूचीबद्धता के लिए अनुरोध किया गया हो		
2	विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित आवेदनपत्र		
3	ट्रेड लाइसेंस/निगमन प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख		
4	पैन कार्ड की और अन्य संबंधित आयकर दस्तावेजों की प्रतिलिपि		
5	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि		
6	एमएसएमइडी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि,यदि हो		
7	पिछले 3 वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय लेखों की प्रतिलिपियाँ या सनदी लेखाकार् द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र, जिसमें पिछले तीन वर्षों का कुल कारोबार बताया गया हो		
8	ग्राहकों से प्राप्त विशिष्ट आपूर्ति के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र, जिसे ग्राहक के आधिकारिक लिफाफे में मुहरबंद किया गया हो **(कम से कम दो)**		
9	बैंकर का शोधक्षमता प्रमाणपत्र		
10	कार्यादेश, यदि लागू हो		
11	अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, (यदि प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रमाणपत्र का नाम ऊपर बतायें)		

आवेदक का हस्ताक्षर

मुहर

भाग – II (वित्तीय बोली)

गहन स्वच्छता के लिए कोटेशन (प्रति सेवा की दर)

क्षेत्र/स्थान	प्रति गहन स्वच्छता सेवा की दर (रु.में)
सीएबी कार्यालय और आर्काइव्स भवन	
गोदावरी भवन (सामान्य क्षेत्र सहित)	
इंद्रायणी भवन (सामान्य क्षेत्र सहित)	
इंद्रायणी और गोदावरी हॉस्टेल – अलग/एकल कमरे	
सीएबी परिसर में अवस्थित अलग VOF	
राजनिधान परिसर में स्थित अलग VOF / THH	
तीस्ता आवासीय कॉलोनी (जिसमें सुवर्णरिखा शामिंल है)	
गोमती आवासीय कॉलोनी	
कल्याणी आवासीय कॉलोनी	
आशियान आवासीय कॉलोनी	
पारिजात आवासीय कॉलोनी	
गुलमोहर आवासीय कॉलोनी	
रजनीगंधा आवासीय कॉलोनी	

टिप्पणी:कृपया वस्तु एवं सेवा कर को नहीं जोड़ें, जिसका भुगतान सरकार के मानदंडों के अनुसार किया जायेगा। सेवा-प्रभार में सभी प्रकार की सांविधिक लेवी शामिल है और जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी का अलग से भुगतान किया जायेगा।

1. ***निविदादाताओं द्वारागहन स्वच्छता कार्य के लिए प्रत्येक कोटि के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य सभी निविदादाताओं के लिए लागू होंगे। केवल उन निविदादाताओं को पैनल में रखने पर विचार किया जायेगा, जो लिखित रूप में सहमति देंगे कि वे अन्य निविदादाता/ओं द्वारा गहन स्वच्छता-कार्य के लिए प्रत्येक कोटि के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दर पर कार्य करेंगे।***

2. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी निविदादाता के मामले की समीक्षा करे, जिसकी सेवाएँ असंतोजनक पायी गयी हों, और यहाँ तक कि उसका ठेका भी रद्द कर दे।

3. निविदा के भाग-।। में कोई शर्त नहीं बतायी जाये। यदि किसी निविदा में शर्तों का उल्लेख किया गया होगा, तो उसे "अमान्य" माना जायेगा

निविदादाताका हस्ताक्षर

मुहर

तारीख: